न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :–अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :– 01/21 तारीख दायरा:–16.07.2021

नरेश पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी ग्राम खेरती तहसील नगर जिला भरतपुर।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेरली पंचायत समिति नगर (डीग)।
2. सचिव ग्राम पंचायत खेरली पंचायत समिति नगर (डीग)।

----रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री चरनसिंह चौहान वकील अपीलान्ट।

<u>आदेश</u> दिनांक :–02.05.2024

अपीलांट नरेश द्वारा यह अपील ग्राम पचांयत खेस्ती पचांयत समिति नगर के नामांतरकरण संख्या 878 ग्राम खेस्ती के आदेश दिनांक 20.04.2011 से व्यथित होकर पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट एवं विवादित मूल नामांतरकरण संख्या 878 बाके ग्राम खेस्ती तहसील नगर से तलब किया गया।

आराजी खसरा नम्बर 553/0.40, 751/0.18, 612/0.05, 613/0.05, 614/0.18, 619/0.16, 624/0.20 किता 7 रकबा 1.22 को प्रकरण मे आगे विवादित आराजी के रूप मे संबोधित किया गया ह।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त विवादित आराजी जिस पर अपीलान्ट के हक मे राजस्व कर्मचारी व सरपंच ग्राम पंचायत खेस्ती ने सहवन व गलत तरीके से दाखिल खारिज संख्यां 878 पर दर्ज कर दिया गया है। क्योकि अपीलान्ट ने अपना नाम हल्का पटवारी को विरासत नामान्तकरण के लिए सही नाम नरेश पुत्र हरचंदी बताया था लेकिन गलत रूप से दाखिल खारिज को फैसल किया गया है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम नरेश पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी खेस्ती है। हल्का पटवारी व सरपंच द्वारा जो दाखिल खारिज खोला है उसमे अपीलान्ट का न[illegible] पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी खेस्ती तहसील नगर के नाम से खोला है, लिहाजा दाखिल ख[illegible]तनीय व गैरकानूनी है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट के हक [illegible] पूर्व राजस्व अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच का यह प्रथम कर्तव्य था कि अपीलान्ट के हक मे विरासत दाखिल खारिज फैसल करने से पूर्व इस बात की जां[illegible] करनी चाहिसे थी, कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट का नरेश पुत्र हरचंदी या नरसी पुत्र हरचंदी है कि नही जिसके बारे मे कोई जांच नही की इसलिए अपीलान्ट का नाम नरसी पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी खेस्ती दर्ज कर विधि विरूद्व कृत्य किया है जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वादा प्रकरण के तथ्यो पर बहस की गई। अपने तथ्यो के समर्थन मे अपीलान्ट द्वारा दिये गये दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के माता व भाई–बहनो द्वारा अपीलान्ट के कथन के समर्थन मे शपथ पत्र दिया गया। वास्ते अवलोकन तहसीदार नगर के पत्र कमांक/भू0अभि0/2023/2072 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा नामा0 जिल्द (नामा0 सं0 864 से 910 तक) ग्राम खेस्ती प्राप्त हुई थी जो इस कार्यालय के पत्र कमाक/राजस्व/23/262 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा पुनः प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इ0 स0 878 बाके ग्राम खेस्ती अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नगर दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड मे विवादित उक्त आराजी मे अपीलान्ट का नाम नरसी पुत्र हरचंदी के स्थान पर नरेश पुत्र हरचंदी किया जाये। इस हेतु तहसीलदार नगर को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले–न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग हरित)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:11:48 IST
Reason: SelfAttested